

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक:प.26(3)संसद / 2024

जयपुर, दिनांक: 18/08/26

विषय:- राजस्थान विधानसभा के लम्बित प्रश्नों, प्रस्तावों (ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख) तथा आश्वासनों को दिनांक 20.08.2026 तक न्यूनतम करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह लेख है कि "16वीं राजस्थान विधानसभा का षष्ठम् सत्र, दिनांक 20.08.2026 से प्रारम्भ हो रहा है। राजस्थान विधानसभा के लम्बित प्रश्नों, प्रस्तावों (ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख) तथा आश्वासनों के लम्बित मामलों की समीक्षा किया जा कर दिनांक 20 अगस्त, 2026 तक इनकी संख्या न्यूनतम किया जाना आवश्यक है।"

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग से संबंधित राजस्थान विधानसभा के लम्बित प्रश्नों, प्रस्तावों (ध्यानाकर्षण एवं विशेष उल्लेख) तथा आश्वासनों संबंधी प्रकरणों को दिनांक 20.08.2026 तक न्यूनतम किये जाने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

5/6

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव,

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवगण।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

18/8/26

(प्रेमनारायण)
वरिष्ठ शासन उप सचिव